सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 62/2014

रक्षिका उर्फ रश्मि नाबालिग पुत्री हरिनारायण जाति सीसवाली तह0 मांगरोल जर्ये संरक्षक स्वयं माता श्री मति रामसिया बाई पत्नि हरिनारायण जाति मीणा निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीया

♠ बनाम ♠

1. हरिनारायण पुत्र भारमल जाति मीणा निवासी रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते घोषणा व बंटवारा</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीया : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 19.05.2014 निर्णय दिनांक : 21.12.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिया रामसिया (माता) व हरिनारायण (पिता) की सुलभी पुत्री है। जो वर्तमान में अपनी माता के पास रह रही है तथा वादीया का समस्त भरण पोषण का खर्चा वादीया की मां उठा रही है। प्रतिवादी कम 1 के खाते में ग्राम रामपुरा भगतान में आराजी खसरा नं0 876/1077 रकबा 1.19 है0 दर्ज है। जिसका प्रतिवादी कम 1 तन्हा मालिक व स्वामी है। वादीया प्रतिवादी कम 1 की पुत्री होने से उक्त आराजी में वादिया रक्षिका उर्फ रश्मि नाबालिग का हिस्सा निहित है। प्रतिवादी कम 1 अपने नाम आराजी को बेचान करना चाहता है जिससे वादीया अपने हिस्से की आराजी से वंचित हो जायेगी। प्रतिवादी कम 1 की आराजी में वादीया का 1/2 हिस्सा है। जिसको वादीया पृथक करवाकर पृथक से अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है। अतः वादीया के पक्ष में प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित की जावें कि ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा नं0 876/1077 रकबा 1.19 है0 जो कि प्रतिवादी कम 1 के खाते में दर्ज है में से 1/2 हिस्सा आराजी पृथक की जाकर वादीया के खाते में दर्ज करते हुए वादीया को खातेदार घोषित किया जावें। तथा अन्य कोई न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.05.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन (रजिस्टर्ड डाक से) तलब किया गया जिसकी [illegible] है। प्रतिवादी की ओर से आज दिनांक [illegible]

8757

क पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में दिनांक 21.12.2018 को वकील वादीया की एक य बहस सुनी गयी। वकील वादीया ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया जिसका उसके द्वारा ने वाद पत्र में अंकन किया गया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादीया द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज आराजी ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा नं0 876/1077 रकबा 1.19 है0 में वादीया का 1/2 हिस्सा निहित है को वादीया के खाते पृथक से दर्ज किया जावें। प्रकरण में दिनांक 20.12.2018 को रामसिया बाई पत्नि हरिनारायण जाति मीणा निवासी सीसवाली व मधुरी बाई पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी रायथल के बयान करवाये गये जो शामिल पत्रावली है। अतः सुनी गयी बहस व संलग्न दस्तावेजो व बयान गवाहो के आधार पर वाद वादीया स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 हरिनारायण पुत्र भारमल जाति मीणा निवासी रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज आराजी ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा नं0 876/1077 रकबा 1.19 है0 को रहन, बैचान नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया